



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE

संसद के अधिनियम के तहत "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi - 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382- 80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ सं. एफ-24-130/2024/एसपीए (स्था.-1)

11 मार्च 2024

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	कार्यकाल पूरा होने की अवधि / Period of Completion of Tenure
1	वास्तुकला/ Architecture	प्रो.डॉ.अनिल दीवान प्रोफेसर (वास्तुकला)/ Prof.Dr.Anil Dewan Professor of Architecture	प्रो. डॉ. ज्योति पांडे शर्मा, प्रोफेसर (वास्तुकला)/ Prof.Dr. Jyoti Pandey Sharma, Professor of Architecture	प्रभावी 12.3.2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए/ w.e.f. 12.3.2024 for a period of two years
2.	भौतिक योजना /Physical Planning	प्रो.डॉ.आर.बिश्वास प्रोफेसर (भौतिक योजना)/ Prof.Dr.R.Biswas Professor of Physical Plannning	प्रो.डॉ. अशोक कुमार प्रोफेसर (भौतिक योजना)/ Prof.Dr. Ashok Kumar Professor of Physical Planning	प्रभावी 12.3.2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए/ w.e.f. 12.3.2024 for a period of two years



(वीरेंद्र कुमार)

कुलसचिव (प्रभारी)

1. प्रो.डॉ.अनिल दीवान, प्रोफेसर एवं एचओडी (वास्तुकला)/
Prof.Dr.Anil Dewan, Professor & HoD of Architecture (कार्यभार सौंपने के लिए)
(to hand over the charge)
2. प्रो.डॉ.आर.बिश्वास, प्रोफेसर एवं एचओडी (भौतिक योजना)/
Prof.Dr.R.Biswas, Professor & HoD of Physical Planning (कार्यभार सौंपने के लिए)
(to hand over the charge)
3. प्रो. डॉ. ज्योति पांडे शर्मा, प्रोफेसर वास्तुकला/
Prof.Dr. Jyoti Pandey Sharma, Professor of Architecture (कार्यभार संभालने के लिए)
(to take over the charge)
4. प्रो.डॉ. अशोक कुमार, प्रोफेसर (भौतिक योजना)/
Prof.Dr. Ashok Kumar, Professor of Physical Planning (कार्यभार संभालने के लिए)
(to take over the charge)

कॉपी/Copy to:-

मेलिंग सूची के अनुसार/As per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ संख्या एफ.39-1/24/एसपीए (स्था.-1)

5 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 के अनुसार, एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 (2) द्वारा और पिछले आदेशों के अधिक्रमण में निदेशक, एसपीए-नई दिल्ली को प्रदत्त शक्तियाँ के तहत प्रो.डॉ. अनिल दीवान, प्रोफेसर (वास्तुकला) को दिनांक 12 मार्च, 2024 से सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2024 तक संकायाध्यक्ष (संकाय कल्याण) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

In accordance with Clause 18 of the First Statutes of the SPAs Act, 2014, powers conferred upon the Director, SPA-New Delhi vide Clause 18 (2) of the First Statutes of the SPAs Act, 2014 and in supersession of previous Orders, Prof.Dr. Anil Dewan, Professor of Architecture in the School, is hereby appointed as Dean (Faculty Welfare) w.e.f. 12th March, 2024 till superannuation dated 30.09.2024.

2. एसपीए अधिनियम, 2014 की प्रथम अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अनुसार संकायाध्यक्ष (संकाय कल्याण) को सौंपे गए विस्तृत कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ हैं।


The detailed duties and responsibilities assigned to the Dean (Faculty Welfare) are as per Schedule 'B' of First Statutes of the SPAs Act, 2014.

3. प्रो.डॉ. अनिल दीवान, प्रोफेसर (वास्तुकला) के नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है।

Prof.Dr. Anil Dewan, Professor of Architecture is requested to confirm the acceptance of the offer of appointment.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.


(वीरेंद्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

प्रो.डॉ. अनिल दीवान, प्रोफेसर (वास्तुकला)
Prof.Dr. Anil Dewan, Professor of Architecture

प्रो. डॉ. संजय गुप्ता, प्रोफेसर (परिवहन योजना) एवं संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और संकाय कल्याण)
Prof.Dr. Sanjay Gupta, Professor of Transport Planning & Dean (Research & Faculty Welfare)

मेलिंग सूची के अनुसार वितरण /Distribution as per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फोन/Tel: 011-23702382, फैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ संख्या एफ.39-1/24/एसपीए (स्था.-1)

05 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 के अनुसार, एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 (2) द्वारा और पिछले आदेशों के अधिकरण में निदेशक, एसपीए-नई दिल्ली को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रो.डॉ. रबिद्युति बिस्वास, प्रोफेसर (भौतिक योजना) को दिनांक 12 मार्च, 2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

In accordance with Clause 18 of the First Statutes of the SPAs Act, 2014, powers conferred upon the Director, SPA-New Delhi vide Clause 18 (2) of the First Statutes of the SPAs Act, 2014 and in supersession of previous Orders, Prof.Dr. Rabidyuti Biswas, Professor of Physical Planning in the School, is hereby appointed as Dean (Research) for a period of two years w.e.f. 12th March, 2024.

2. एसपीए अधिनियम, 2014 की प्रथम अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अनुसार संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) को सौंपे गए विस्तृत कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं।


The detailed duties and responsibilities assigned to the Dean (Research) are as per Schedule 'B' of First Statutes of the SPAs Act, 2014.

3. प्रो.डॉ. रबिद्युति बिस्वास, प्रोफेसर (भौतिक योजना) के नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है।

Prof.Dr. Rabidyuti Biswas, Professor of Physical Planning is requested to confirm the acceptance of the offer of appointment.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.


(वीरेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

प्रो.डॉ. रबिद्युति बिस्वास, प्रोफेसर (भौतिक योजना)

Prof.Dr. Rabidyuti Biswas, Professor of Physical Planning

प्रो. डॉ. संजय गुप्ता, प्रोफेसर (परिवहन योजना) एवं संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और संकाय कल्याण)

Prof.Dr. Sanjay Gupta, Professor of Transport Planning & Dean (Research & Faculty Welfare)

मेलिंग सूची के अनुसार वितरण /Distribution as per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382–80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2024/एसपीए (स्था.-I)

26 फरवरी 2024

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	कार्यकाल पूरा होने की अवधि / Period of Completion of Tenure
1	भवन अभियांत्रिकी और प्रबंधन / Building Engineering & Management	श्री सुशील कुमार सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर (बीईएम)/ Shri Sushil Kumar Solanki, Associate Professor of BEM	प्रो.डॉ.वी.के.पॉल, प्रोफेसर (बीईएम)/ Prof.Dr.V.K.Paul, Professor of BEM	प्रभावी 27.2.2024 दो वर्ष की अवधि के लिए/ w.e.f. 27.2.2024 for a period of two years

(वीरेंद्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

1. श्री सुशील कुमार सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर (बीईएम)/
Shri Sushil Kumar Solanki, Associate Professor & HoD of BEM

(कार्यभार सौंपने के लिए)
(to hand over the charge)


2. प्रो.डॉ.वी.के.पॉल, प्रोफेसर (बीईएम)/
Prof.Dr.V.K.Paul, Professor of BEM

(कार्यभार संभालने के लिए)
(to take over the charge)

कॉपी/Copy to:-

मेलिंग सूची के अनुसार
As per mailing list

10



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382-80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2024/एसपीए (स्था.-1)

16 जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	कार्यकाल पूरा होने की अवधि / Period of Completion of Tenure
1.	नगर योजना/ Urban Planning	प्रो.डॉ. संजुक्ता भादुरी/ Prof.Dr. Sanjukta Bhaduri, प्रोफेसर (नगर योजना)/ Professor of Urban Planning		31.10.2024 तक बढ़ाया गया / Extended upto 31.10.2024

(वीरेंद्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

1. प्रो. डॉ. संजुक्ता भादुरी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (नगर योजना)/
Prof.Dr. Sanjukta Bhaduri, Professor & HoD of Urban Planning

कॉपी/Copy to:-

मेलिंग सूची के अनुसार
As per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382–80, फैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2023/एसपीए (स्था.-1)


27 दिसंबर, 2023

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	पदभार ग्रहण करने की तिथि/ Date of Joining
1.	औद्योगिक डिजाइन/ Industrial Design	श्री पराग आनंद मेश्राम/ Shri Parag Anand Meshram, एसोसिएट प्रोफेसर (औद्योगिक डिजाइन)/ Associate Professor of Industrial Design		31.12.2024 तक बढ़ाया गया / Extended upto 31.12.2024
2.	आवास / Housing	डॉ. रुचिता गुप्ता Dr. Ruchita Gupta एसोसिएट प्रोफेसर (आवास)/ Associate Professor of Housing		31.12.2024 तक बढ़ाया गया / Extended upto 31.12.2024


(वीरिन्द्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

1. श्री पराग आनंद मेश्राम, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (औद्योगिक डिजाइन)/
Shri Parag Anand Meshram, Associate Professor & HoD of Industrial Design
2. डॉ. रुचिता गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (आवास)
Dr. Ruchita Gupta, Associate Professor & HoD of Housing

कॉपी/Copy to:-

मेलिंग सूची के अनुसार
As per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ संख्या एफ.39-1/23/एसपीए (स्था.-1)

27 सितंबर, 2023

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 के अनुसार, एसपीए अधिनियम, 2014 के प्रथम अधिनियम के खंड 18 (2) द्वारा और पिछले आदेशों के अधिक्रमण में निदेशक, एसपीए-नई दिल्ली को प्रदत्त शक्तियाँ के तहत प्रो. डॉ. पी.एस.एन. राव, प्रोफेसर (एचएजी)(आवास) को दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से दो वर्ष की अवधि के लिए संकायाध्यक्ष (योजना और विकास) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

In accordance with Clause 18 of the First Statutes of the SPAs Act, 2014, powers conferred upon the Director, SPA-New Delhi vide Clause 18 (2) of the First Statutes of the SPAs Act, 2014 and in supersession of previous Orders, Prof.Dr. P.S.N. Rao, Professor (HAG) of Housing in the School, is hereby appointed as Dean (Planning and Development) for a period of two years w.e.f. 1st October, 2023.


2. एसपीए अधिनियम, 2014 की प्रथम अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अनुसार संकायाध्यक्ष (योजना और विकास) को सौंपे गए विस्तृत कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ हैं।

The detailed duties and responsibilities assigned to the Dean (Planning and Development) are as per Schedule 'B' of First Statutes of the SPAs Act, 2014.

3. प्रो. डॉ. पी.एस.एन. राव, प्रोफेसर (एचएजी)(आवास) से नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है।

Prof.Dr. P.S.N.Rao, Professor (HAG) of Housing is requested to confirm the acceptance of the offer of appointment.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.


(वीरेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (प्रभारी)

प्रो. डॉ. पी.एस.एन. राव, प्रोफेसर (एचएजी)(आवास)/
Prof.Dr. P.S.N.Rao, Professor (HAG) of Housing

प्रो. मनोज माथुर प्रोफेसर (वास्तुकला) और संकायाध्यक्ष (योजना और विकास)
Prof.Manoj Mathur, Professor of Architecture & Dean (Planning & Development)

मेलिंग सूची के अनुसार वितरण /Distribution as per mailing list



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लाक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
फ़ोन/Tel: 011-23702382-80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2023/एसपीए (स्था.-I)

17 अगस्त, 2023

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the HODs of the Department of Studies as per clause 19 (i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:-

क्र. सं./ SI. No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	पदभार ग्रहण करने की तिथि /Date of Joining
1. ✓	क्षेत्रीय योजना/ Regional Planning	प्रो. डॉ. संजुक्ता भादुड़ी, प्रोफेसर (नगर योजना)/ Prof.Dr. Sanjukta Bhaduri, Professor of Urban Planning	सुश्री अनुराधा चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण)/ Ms. Anuradha Chaturvedi, Associate Professor of Architectural Conservation	तत्काल प्रभाव से छह महीने की अवधि के लिए (अतिरिक्त प्रभार)/ With immediate effect for a period of six months (Additional Charge)

(उमाकांत अग्रवाल)
कुलसचिव

1. प्रो. डॉ. संजुक्ता भादुड़ी, प्रोफेसर और एचओडी (नगर योजना)/
Prof.Dr. Sanjukta Bhaduri, Professor and HoD of Urban Planning
2. सुश्री अनुराधा चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण)/
Ms. Anuradha Chaturvedi, Associate Professor of Architectural Conservation

प्रतिलिपि: मेलिंग सूची के अनुसार
Copy to: As per Mailing List



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382–80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2023/एसपीए (स्था.-I)


1 अगस्त, 2023

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the HODs of the Department of Studies as per clause 19 (i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:-

क्र. सं./ SI. No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	पदभार ग्रहण करने की तिथि /Date of Joining
1.	पर्यावरण योजना /Environmental Planning	प्रो.डॉ. मीनाक्षी धोते, प्रोफेसर (पर्यावरण योजना) Prof.Dr. Meenakshi Dhote, Professor of Environmental Planning	प्रो. डॉ. आर. बिस्वास, प्रोफेसर (भौतिक योजना) एवं समन्वयक (CASS) Prof.Dr. R. Biswas, Professor of Physical Planning & Coordinator (CASS)	प्रभावी 9.8.2023 छह महीने की अवधि के लिए (अतिरिक्त प्रभार)/ w.e.f. 9.8.2023 for a period of six months (Additional charge)


(उमाकांत अग्रवाल)
कुलसचिव

1. प्रो.डॉ. मीनाक्षी धोते, प्रोफेसर और एचओडी (पर्यावरण योजना)/Prof.Dr. Meenakshi Dhote, Professor and HoD of Environmental Planning
2. प्रो. डॉ. आर. बिस्वास, प्रोफेसर (भौतिक योजना) एवं समन्वयक (CASS)/Prof.Dr. R. Biswas, Professor of Physical Planning & Coordinator (CASS)

प्रतिलिपि: मेलिंग सूची के अनुसार
Copy to: As per Mailing List



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi - 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382-80, फैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ. सं.एफ-24-130/2023/एसपीए (स्था.-I)

27 जुलाई, 2023
31

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप प्रत्येक के विपरीत निम्नलिखित अवधि के लिए होगा: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per Clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below against each:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/ Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यग्राही अधिकारी/ Relieving Officer	पदभार ग्रहण करने की तिथि/Date of Joining
1.	वास्तुकला/ Architecture	प्रो.डॉ.अनिल दीवान, प्रोफेसर (वास्तुकला)/ Prof. Dr. Anil Dewan, Professor of Architecture	एक साल के लिए बढ़ाया गया 31.07.2024 तक/ Extended for one year upto 31.07.2024	
2.	क्षेत्रीय योजना/ Regional Planning	प्रो. डॉ. संजुक्ता भादुड़ी, प्रोफेसर (शहरी योजना)/ Prof. Dr. Sanjukta Bhaduri, Professor of Urban Planning	प्रो. डॉ. विनीता यादव, प्रोफेसर (क्षेत्रीय योजना) / Prof. Dr. Vinita Yadav, Professor of Regional Planning	10/08/2023 से दो साल के लिए/ From 10/08/2023 for Two Years
3.	भवन, इंजीनियरिंग और प्रबंधन/ Building, Engineering and Management	प्रो. डॉ. वी.के.पॉल प्रोफेसर (बीईएम)/ Prof. Dr. V.K.Paul Professor of BEM	श्री सुशील कुमार सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर (बीईएम)/ Mr. Sushil Kumar Solanki, Associate Professor of BEM	09/08/2023 से दो साल के लिए/ From 09/08/2023 for Two Years

(उमाकांत अग्रवाल)
कुलसचिव

सभी संबंधित के लिए/ TO ALL CONCERNED



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के एक अधिनियम के तहत एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लॉक- बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 02
फ़ोन/Tel: 011-23702382-80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

संदर्भ सं.एफ-24-130/2023/एसपीए (स्था.-I)

28 जून, 2023

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

पिछले आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत योजना और वास्तुकला के स्कूलों के लिए पहली अधिनियम के खंड 19 (i) के अनुसार अध्ययन विभाग के एचओडी में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है। हेडशिप नीचे उल्लिखित अवधि के लिए होगी: -

In supersession of previous Orders, the competent authority has approved the following changes in the Head of the Department of Studies as per clause 19(i) of the First Statutes for Schools of Planning and Architecture under SPA Act, 2014, regarding the appointment of HODs. The Headship will be for a period mentioned below:

क्र.सं./ Sl.No.	विभाग/Department	कार्यमुक्त अधिकारी/ Relieved Officer	कार्यमुक्ति अधिकारी/ Relieving Officer	पदभार ग्रहण करने की तिथि/ Date of Joining
1.	वास्तुकला संरक्षण / Architectural Conservation	सुश्री अनुराधा चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण) Ms. Anuradha Chaturvedi, Associate Professor of Architectural Conservation	प्रो. डॉ. प्रियालीन सिंह, प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण) Prof. Dr. Priyaleen Singh, Professor of Architectural Conservation	01/07/2023 से दो साल के लिए/ From 01/07/2023 for two years
2	लैंडस्केप वास्तुकला/ Landscape Architecture	डॉ. आरती ग्रोवर, एसोसिएट प्रोफेसर (लैंडस्केप वास्तुकला)/ Dr. Aarti Grover, Associate Professor of Landscape Architecture		एक साल के लिए बढ़ाया गया 30.06.2024 तक / Extended for one year upto 30.06.2024

उमरवा

(उमाकांत अग्रवाल)
कुलसचिव

1. सुश्री अनुराधा चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण)/
Associate Professor of Architectural Conservation
2. प्रो. डॉ. प्रियालीन सिंह, प्रोफेसर (वास्तुकला संरक्षण)/
Prof. Dr. Priyaleen Singh, Professor of Architectural Conservation
3. डॉ. आरती ग्रोवर, एसोसिएट प्रोफेसर (लैंडस्केप वास्तुकला)/
Dr. Aarti Grover, Associate Professor of Landscape Architecture